

प्रेषक,

सेवा में,

सदाकान्त,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-735 / आठ-2-14-3एच0वी0(292) / 13

प्राथमिकता

आवृत्ति नं० 632 भूमि अर्जन

दिनांक 4-8-14

- 1- प्रमुख सचिव
स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग
उ0प्र0 शासन।
- 3-प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 सहकारी कताई
मिल संघ, कानपुर।

- 2- आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद
लखनऊ।
- 4- जिलाधिकारी
इटावा।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक 23 जुलाई, 2014

विषय-जनपद इटावा के औद्योगिक विकास क्षेत्र अंतर्गत स्थापित उ0प्र0 सहकारी कताई मिल संघ लिमिटेड की कताई मिल (स्पिनिंग मिल) की भूमि को कताई मिल संघ द्वारा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को हस्तान्तरण/ विक्रय करने एवं उस पर देय स्टाम्प ड्यूटी की धनराशि की छूट प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद इटावा के औद्योगिक विकास क्षेत्र अंतर्गत स्थापित उ0प्र0 सहकारी कताई मिल संघ लिमिटेड की कताई मिल (स्पिनिंग मिल) की भूमि को कताई मिल संघ द्वारा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को हस्तान्तरण/ विक्रय करने एवं उस पर देय स्टाम्प ड्यूटी की धनराशि की छूट प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत् निर्णय लिया गया है:-

(I) जिलाधिकारी, इटावा के पत्र संख्या-1242/स्पिनिंग मिल/भू-मूल्य निर्धारण-2014 दिनांक 28-5-2014 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के अनुसार प्रश्नगत भूमि भूमि/भवन आवासीय प्रकृति की है, जहाँ की निर्धारित/प्रचलित रेट सूची जो दिनांक 10-7-2013 से प्रचलित है, में आवासीय भूमि की दर रु0 6000/- प्रति वर्गमीटर निर्धारित है। इस प्रकार कुल भूमि 47 किता रकवा 17.006 हे0 यानि 1,70,060 वर्गमीटर का मूल्य 102 करोड रुपये निर्धारित की गयी है। इस प्रकार निर्धारित की गयी भूमि की कीमत/धनराशि रु0 102.00 करोड पर विक्रेता/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 कताई मिल संघ तथा कता/ आवास आयुक्त उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद उभयपक्षों द्वारा सहमति दी गयी।

(II) उक्त निर्धारित धनराशि रु0 102.00 करोड को आपसी सहमति के आधार पर किश्तों में उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, उ0प्र0 कताई मिल संघ को उपलब्ध करायेगा।

(III) प्रश्नगत भूमि पर स्थित भवन/वृक्ष/अन्य किसी प्रकार का मलवा आदि जो उपलब्ध है, के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 कताई मिल संघ का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे उसे नियमानुसार तीन माह में खाली करायेंगे तथा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को खाली भूमि उपलब्ध करायेंगे।

(IV) प्रश्नगत भूमि बैंक में बन्धक है। बैंक से भूमि को बन्धकमुक्त कराने का उत्तरदायित्व प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 कताई मिल संघ का होगा। प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 कताई मिल संघ बैंक से सम्पर्क करते हुए सेटलमेन्ट करके

P.G.O.-13HP-(853)

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

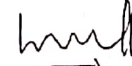
आवास एवं विकास परिषद को सूचित करेंगे। तत्कम में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० कताई मिल संघ को उनकी गोंग पर प्रथम किशत की धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी।

(V) प्रश्नगत भूमि पर बैंक बन्धक आदि की जो देयता बनती है, उसे निस्तारित करते हुए प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० कताई मिल संघ बन्धकमुक्त भूमि उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद को उपलब्ध करायेंगे।

(VI) इटावा स्थित प्रश्नगत मिल की भूमि को कताई मिल संघ द्वारा उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद को किये जाने वाले हस्तान्तरण/विक्रय के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि चूँकि आवासीय कालोनियों के विकास में उपलब्ध भूमि का अधिकतम 50 प्रतिशत ही विक्रय योग्य भूमि उपलब्ध हो पाती है तथा शेष भूमि सड़क, सीवर, ग्रीनवेल्ड आदि में उपयोग हो जाती है अतः उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा विकसित किये जाने वाले निर्माण पर आने वाला व्यय अधिक हो जाता है। उक्त के दृष्टिगत एवं जनहित को ध्यान में रखते हुए प्रश्नगत भूमि के सुनियोजित विकास किये जाने के सम्बन्ध में जनपद, इटावा के औद्योगिक विकास क्षेत्र के अन्तर्गत स्थापित उ०प्र० सहकारी कताई मिल संघ लि० की कताई मिल की भूमि के विक्रय/हस्तान्तरण पर देय स्टाम्प ड्यूटी पर छूट प्रदान की जायेगी।

3- कृपया उपयुक्तानुसार कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,


(सदाकान्त)

प्रमुख सचिव।

22/11/14

संख्या-1735(1)/आठ-2-14, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ०प्र० शासन।
- 2- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन।
- 3- प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ०प्र० शासन।
- 4- प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ०प्र० शासन।
- 5- सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
- 6- निदेशक, आवास बन्धु को आवास विभाग के बेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(पी०एन० यादव)
अनु सचिव।

शासनदेश सं० 1735/आठ-2-14-3 एच०वी० (१९२)/13 आवास एवं शहरी अनुभाग-2 दिनांक 23.07
2014 के अनुपालन में यू०पी० को-ऑपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लि०, इटावा की भूमि को ३०५० आवास एवं

विकास परिषद को हस्तान्तरित भूमि की सूची:-

क्र०सं०	ग्राम कस्बा इटावा, तहसील, इटावा	
	गाटा सं०	गाटा का कुल क्षेत्रफल ह० म
1	317 क	1.2620
2	318	0.1860
3	319	0.2750
4	320	0.5100
5	321	0.4410
6	322	0.0970
7	323	0.0450
8	324	0.4490
9	325	0.2790
10	326	0.4980
11	327	0.3350
12	328	0.4290
13	329	0.3580
14	330	0.2710
15	332	0.6830
16	333	0.0350
17	334	0.2300
18	336	0.4290
19	337	0.4290
20	338	0.2300
21	339	0.3120
22	340	0.3500
23	341	0.3300
24	342	0.2090
25	343	0.0450
26	345	0.3120
27	346	0.3580
28	347	0.2300
29	348	0.6150
30	349	0.3300
31	350	0.1800
32	351	0.1060
33	352	0.2300
34	353	0.2300
35	354	0.7380
36	355	0.4290
37	356	0.3350
38	366	0.3200
39	367	0.4850
40	377	0.4290
41	378	0.4860
42	379	0.3120
43	380	0.2870
44	382	0.2790
45	383	0.1370
46	384	0.2950
47	385	0.3650
	Total	17.060

अवर अभियन्ता

सहायक अभियन्ता

भौतिक कब्जा प्रमाण-पत्र

शासनादेश सं० 1735/आठ-2-14-3 एच०बी० (292)/13 आवास एवं शहरी अनुभाग-2 दिनांक 23.07.2014 के अनुपालन में यू०पी० को-ऑपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लि०, मैनपुरी रोड, इटावा की भूमि को निम्न विवरण के अनुसार आज दिनांक 29.04.2015 को उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद को हस्तान्तरित की जाती है।

क्र०स०	ग्राम करवा इटावा, तहसील, इटावा		निर्माण की स्थिति			अवशेष क्षेत्रफल हे० में	टिप्पणी
	गाटा सं०	गाटा का कुल क्षेत्रफल हे० में	माप वर्ग मी० में	क्षेत्रफल वर्गमी० में	क्षेत्रफल हे० में		
1	317 क	1.2620	24.40x8.00 $\frac{43.00+43.50 \times 24.40 + 16.00}{2}$	195.20 873.65			प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय
				1068.85			
					0.1069	1.1551	
2	318	0.1860				0.1860	
3	319	0.2750				0.2750	
4	320	0.5100				0.5100	
5	321	0.4410				0.4410	
6	322	0.0970				0.0970	
7	323	0.0450				0.0450	
8	324	0.4490				0.4490	
9	325	0.2790				0.2790	
10	326	0.4980				0.4980	
11	327	0.3350				0.3350	
12	328	0.4290				0.4290	
13	329	0.3680				0.3680	
14	330	0.2710				0.2710	
15	332	0.6830				0.6830	
16	333	0.0360				0.0360	
17	334	0.2300	49.50x6.65	329.17	0.0329	0.1971	विद्युत सयस्टेशन
18	336	0.4290	$\frac{63.00m+35.16m \times 43.17m + 63.00m}{2}$	2605.16	0.2605	0.1685	मन्दिर
19	337	0.4860				0.4860	
20	338	0.2300				0.2300	
21	339	0.3120				0.3120	
22	340	0.3600				0.3600	
23	341	0.3600				0.3600	
24	342	0.2060				0.2060	
25	343	0.0450				0.0450	
26	345	0.3120				0.3120	
27	346	0.3680				0.3680	
28	347	0.3350				0.3350	
29	348	0.6150				0.6150	
30	349	0.3800				0.3800	
31	350	0.1620				0.1620	
32	351	0.2060				0.2060	
33	352	0.2870				0.2870	
34	353	0.2310				0.2310	

15
15

354	0.7650				0.7650	
355	0.4490				0.4490	
356	0.6350				0.6350	
366	0.3600				0.3600	
367	0.4860				0.4860	
377	0.4290				0.4290	
378	0.4860				0.4860	
379	0.3120				0.3120	
380	0.2870	12.00x29.00	348.00	0.0348	0.2522	प्राइवेट भवन
382	0.2790				0.2790	
383	0.1370				0.1370	
384	0.2950				0.2950	
385	0.3680				0.3680	
Total	17.006			0.4351	16.5709	

नोट- मिल परिसर के कुल क्षेत्रफल 17.006 हेक्टेयर का कब्जा आवास विकास परिषद को दिया जाना प्रस्तावित है, जिसमें स्कूल, मन्दिर, विद्युत सब स्टेशन एवं प्राइवेट भवन के निर्माण का क्षेत्रफल 0.4351 हेक्टेयर को छोड़कर शेष 16.5709 हेक्टेयर का कब्जा आज दिनांक 29.04.2015 को आवास विकास परिषद को हस्तान्तरित किया जाता है। शेष 0.4351 हेक्टेयर के हस्तान्तरण की कार्यवाही शीघ्र सुनिश्चित की जायेगी।

कब्जा दिया

(Handwritten signature)
(एन०के० मिश्रा) 29/04/15

सचिव महाप्रबन्धक

यू०पी० को-ऑपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लि०
मैनपुरी रोड, इटावा।

कब्जा लिया

(Handwritten signature)
(लाखन सिंह) 29/4/15

सहायक अभियन्ता

निर्माण इकाई इटावा

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, इटावा।



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

इलाहाबाद, शनिवार, 10 मार्च, 2018 ई० (फाल्गुन 19, 1939 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

कार्यालय, नगर पालिका परिषद, कालपी, जालौन

06 दिसम्बर, 2017 ई०

सं० 24/न०पा०परि०का०/उपविधि-विविधकर/2017-18-नगर पालिका परिषद, कालपी, जनपद जालौन ने उ०प्र० नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पालिका परिषद, कालपी, जनपद जालौन की सीमा हेतु "विविध कर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2017" को धारा 301 के अन्तर्गत इस कार्यालय के पत्र संख्या 17/न०पा०परि०का०/उपविधि-विविध कर/2017-18 दिनांक 09 अक्टूबर, 2017 द्वारा स्थानीय समाचार-पत्र दैनिक जागरण "झौंसी" एवं "राष्ट्रीय स्वरूप" के दिनांक 11 अक्टूबर, 2017 के अंक में प्रकाशन कराकर उपविधि के सम्बन्ध में 15 दिवस के अन्दर दावा आपत्तियां/सुझाव प्रस्तुत करने हेतु सूचना प्रकाशित करायी गयी।

निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत एक आपत्ति प्राप्त हुई, जिसका निस्तारण कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त कोई दावा आपत्ति/सुझाव प्राप्त न होने के कारण प्रकाशित कराये गये उपरोक्त उपविधि को सरकारी गज़ट में प्रकाशन कराये जाने हेतु प्रस्तावित किया जाता है।

अतः नगर पालिका परिषद, कालपी, जनपद जालौन के उपरोक्त विविध कर (शुल्क) उपविधि को सरकारी गज़ट में प्रकाशन की तिथि के पश्चात् तत्काल लागू माना जायेगा।

"विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2017"

1-संक्षिप्त नाम प्रसार एवं प्रारम्भ-

(1) यह उपविधि "विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2017" कहलायेगी।

(2) नगर पालिका परिषद, कालपी, जनपद जालौन की सीमा में प्रवृत्त होगी।

(3) यह उपविधि उ०प्र० राजपत्र में प्रकाशन होने के दिनांक से नगर पालिका परिषद, कालपी, जनपद जालौन में प्रभावी होगी।

2-परिभाषाएँ-उपरोक्त नियमावली में विषय या प्रयोग में कोई शब्द प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में उक्त शब्द का अर्थ यह पढ़ा या समझा जायेगा।

(1) अधिनियम का तात्पर्य उ०प्र० नगर पालिका अधिनियम, 1916 से है।

सं० 24/न०पा०परि०का०-21

(3) "नगर पालिका परिषद" का तात्पर्य नगर पालिका परिषद, कालपी, जनपद जालौन से है।
 (4) "अध्यक्ष/प्रशासक" का तात्पर्य नगर पालिका परिषद, कालपी के अध्यक्ष/प्रशासक से है।

3-विविधकर शुल्क की दरें-

- (1) प्रमाण-पत्र शुल्क रु० 100.00 प्रति प्रमाण-पत्र।
- (2) नाला/नाली या सार्वजनिक जगह पर गन्दगी फैलाने पर पेनाल्टी शुल्क रु० 100.00 प्रति प्रकरण।
- (3) नाला/नाली या सार्वजनिक जगह पर गन्दगी फैलाने की पुनरावृत्ति करने पर पेनाल्टी शुल्क रु० 500.00 प्रति प्रकरण।
- (4) सड़क के किनारे मोरंग, बालू, ईट, भवन सामग्री पाये जाने पर, नालियों के ऊपर अतिक्रमण, सड़क के किनारे अवैध गुगटी, खोका, टीन-टट्टर इत्यादि व सड़क के किनारे फुटपाथ पर दुकानों का सामान फैलाने पर पेनाल्टी शुल्क रु० 500.00 प्रतिदिन, प्रति प्रकरण।
- (5) वाटर टैंकर शुल्क (पालिका सीमा में घरेलू/सार्वजनिक कार्य हेतु) शुल्क रु० 500.00 प्रति टैंकर/प्रति चक्कर (08 घण्टे हेतु) रात्रि ठहराव हेतु रु० 200.00 प्रति रात्रि अतिरिक्त शुल्क लगेगा।
- (6) वाटर टैंकर शुल्क (पालिका सीमा में व्यवसायिक कार्य हेतु) शुल्क रु० 1,000.00 प्रति टैंकर/प्रति चक्कर (08 घण्टे हेतु) रु० 200.00 प्रति रात्रि अतिरिक्त शुल्क लगेगा।
- (7) सीवरेज टैंकर उपयोग (पालिका सीमान्तर्गत) शुल्क रु० 1,000.00 प्रति टैंकर/प्रति चक्कर।
- (8) जो0सी0वी0 मशीन व्यक्तिगत उपयोग हेतु किराया शुल्क रु० 800.00 प्रति घण्टा।
- (9) नगर पालिका के गोवाइल टॉयलेट शुल्क रु० 1,500.00 प्रतिदिन (08 घण्टे हेतु) रु० 300.00 प्रति रात्रि अतिरिक्त शुल्क लगेगा।
- (10) नगर पालिका सीमान्तर्गत प्राईवेट सीवर सक्शन मशीन (टैंक, सीवर आदि साफ करने हेतु) प्रयोग करने वाले व्यवसायिक फर्मों को लाईसेंस शुल्क रु० 15,000.00 प्रतिवर्ष। सीवेज अनलोड नगर पालिका द्वारा निर्धारित स्थान पर किया जायेगा।
- (11) 40 माईक्रोन से कम की मोटाई की पॉलीथीन का प्रयोग करने पर पेनाल्टी शुल्क रु० 100.00 प्रति प्रकरण।
- (12) 40 माईक्रोन से कम की मोटाई की पॉलीथीन का प्रयोग करने की पुनरावृत्ति करने पर पेनाल्टी शुल्क रु० 500.00 प्रति प्रकरण।
- (13) नगर पालिका सीमा में स्थित पेट्रोल एवं डीजल पम्प पर व्यवसायिक शुल्क रु० 3,000.00 वार्षिक।
- (14) पालिका सीमा में स्थित कोचिंग संस्थानों पर व्यवसायिक शुल्क रु० 3,000.00 वार्षिक।
- (15) पालिका सीमा में व्यवसाय करने वाले गेस्ट हाउस/अतिथि गृह पर व्यवसायिक शुल्क रु० 5,000.00 वार्षिक।
- (16) पालिका सीमा में व्यवसायिक रेस्टोरेन्ट/ढाबा पर व्यवसायिक शुल्क रु० 3,000.00 वार्षिक।
- (17) पालिका सीमा में चलने वाले ई-रिक्शा/गाडी पर लाईसेंस शुल्क रु० 600.00 वार्षिक।
- (18) पालिका सीमा में स्थापित टॉवरों पर व्यवसायिक शुल्क रु० 10,000.00 वार्षिक।
- (19) डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन नगर पालिका परिषद, कालपी द्वारा अनुबंधित संस्था होने पर यूजर चार्ज के रूप में घरेलू रु० 50.00 प्रति परिवार/प्रतिमाह, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से रु० 100.00 प्रति प्रतिष्ठान/प्रतिमाह, तथा गेस्ट हाउस या बल्क बेस्ट जनरेटर रु० 500.00 प्रति गेस्ट हाउस/प्रति बुकिंग।
- (20) नगर पालिका सीमान्तर्गत श्वान पालकों को नगर पालिका परिषद, कालपी के कार्यालय में पंजीकरण कराना अनिवार्य है, पंजीकरण शुल्क रु० 100.00 प्रतिवर्ष/प्रति श्वान।
- (21) कांजी हाउस में रखे जाने वाले छोटे जानवर की खुराकी शुल्क रु० 50.00 प्रतिदिन/प्रति जानवर।
- (22) कांजी हाउस में रखे जाने वाले बड़े जानवर की खुराकी शुल्क रु० 100.00 प्रतिदिन/प्रति जानवर।
- (23) गाय/गैरा/सुअर इत्यादि सभी प्रकार के पालतू जानवरों को खुला छोड़ने पर पकड़े जाने पर शुल्क रु० 500.00 प्रतिप्रकरण/प्रतिदिन।
- (24) नामान्तरण शुल्क-

[क] वसतिगृह/रजिस्टर्ड वसतिगृह/न्यायालय निर्णय/रजिस्टर्ड हिबानामा के आधार पर नामान्तरण शुल्क रु० 1,000.00।

[ख] रु० 1 से 49,999 बाजार मालियत वैनामा नामान्तरण शुल्क रु० 2,000.00।

[ग] रु० 50,000 से 99,999 बाजार मालियत वैनामा नामान्तरण शुल्क रु० 3,000.00।

[घ] रु० 1,00,000 से 2,99,999 बाजार मालियत वैनामा नामान्तरण शुल्क रु० 4,000.00।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्, लखनऊ

[भूमि अर्जन अनुभाग]

संख्या 2069/एल0ए0सी0/एच0क्यू0

01 फरवरी, 2018 ई0

नोटिस

[उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 (उ0प्र0 अधिनियम, संख्या 1, 1966) की धारा 28 के अन्तर्गत नोटिस]

उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् ने मेरठ नगर की बढ़ती हुई आवासीय समस्या के निराकरण हेतु आवासीय योजना "भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या 12, निकट नूर नगर रेलवे स्टेशन, ग्राम लिसाड़ी, जिला मेरठ" बनाई है।

योजना में समाविष्ट क्षेत्र की सीमायें निम्न प्रकार हैं :-

उत्तर-खसरा संख्या-397 व रेलवे लाईन ग्राम-लिसाड़ी, परगना, तहसील व जिला मेरठ।

पूरव-खसरा संख्या-410, 411, 441, 442, 443 ग्राम-लिसाड़ी, परगना, तहसील व जिला मेरठ।

दक्षिण-खसरा संख्या-439 (भाग), 436, 437, 434, 433 ग्राम-लिसाड़ी, परगना, तहसील व जिला मेरठ।

पश्चिम-खसरा संख्या-421 रास्ता ग्राम-लिसाड़ी, परगना, तहसील व जिला मेरठ।

योजना में समाविष्ट भूमि का विवरण व मानचित्र कार्यालय, आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद्, 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ अथवा कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-8, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद्, सेक्टर-9, शास्त्रीनगर, मेरठ में किसी भी कार्य-दिवस में 11:00 बजे पूर्वान्ह से 3:00 बजे अपरान्ह तक देखे जा सकते हैं।

योजना क्षेत्र में स्थित निर्माणों के भूस्वामियों पर परिषद् अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार बेटरमेन्ट फ्री/विकास व्यय भी अधिभारित होगा।

योजना के विपरीत आपत्तियों को इस नोटिस के प्रथम बार उ0प्र0 गजट के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के अन्दर कार्यालय आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद्, 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ अथवा कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड 8, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद्, सेक्टर 9, शास्त्रीनगर, मेरठ में ली जायेगी। निर्धारित समय के बाद कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी। आपत्ति में योजना का सही नाम व योजना में समाविष्ट आपत्तिकर्ता की भूमि/भवन/ग्राम का नाम/प्लॉट नम्बर/क्षेत्रफल अन्य सभी विवरण होने चाहिये।

धीरज साहू,
आवास आयुक्त।

U. P. AVAS EVAM VIKAS PARISHAD, LUCKNOW

[LAND ACQUISITION SECTION]

No. 2069/L. A. C./H. Q.

February 1, 2018

NOTICE

[Notice under section 28 of the U. P. Avas Evam Vikas Parishad Adhiniyam, 1965 (U. P. Act no. 1 of 1966)]

The U. P. Avas Evam Vikas Parishad has framed a Scheme called "Bhumi Vikas Evam Grihsthan Yojna no. 12 near Noor Nagar Railway Station, Village, Lisari, Distt., Meerut" to solve the acute housing problem of the Meerut City.

The Boundaries of the comprised area in the Scheme are as follows :

North--Khasra no. 397 and Railway Line, Village-Lisari, Pargana, Tahsil and District-Meerut.

East--Khasra nos. 410, 411, 441, 442, 443, Village-Lisari, Pargana, Tahsil and District-Meerut.

South--Khasra nos. 439 (Part), 436, 437, 434, 433, Village-Lisari, Pargana, Tahsil and District-Meerut.

West--Khasra no. 421 Road, Village-Lisari, Pargana, Tahsil and District-Meerut.

The details of land falling under the Scheme and Map can be seen in the office of Housing Commissioner, U. P. Avas Evam Vikas Parishad, 104, Mahatma Gandhi Marg, Lucknow or in the office of Executive Engineer, Construction Division-8, U.P. Avas Evam, Vikas Parishad, Sector-9, Shastri Nagar, Meerut, on any working day between 11.00 a.m. to 3.00 p.m.

Land Owners will be liable to pay Betterment fee/Development charges of their situated structures in the Scheme according to provisions of Parishad Adhiniyam.

Objections against the Scheme shall be received at the office of the Housing Commissioner, U. P. Avas Evam Vikas Parishad, 104 Mahatma Gandhi Marg, Lucknow or in the office of Executive Engineer, Construction Division-8, U.P. Avas Evam Vikas Parishad, Sector 9, Shastri Nagar, Meerut, within 30 days from the first publication in the Pradesh Gazette of this Notice. After passage the due date no objection shall be considered. In objection, Complete name of the Scheme and full particulars of the Land Building Name and Village Plot number Area and other details.

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्, लखनऊ

[भूमि अर्जन अनुभाग]

संख्या 2226/एल०ए०सी०/एच०क्यू०

23 फरवरी, 2018 ई०

नोटिस

[उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 (उ०प्र० अधिनियम, संख्या 1, 1966) की धारा 28 के अन्तर्गत नोटिस]

इटावा शहर की आवासीय समस्या के निराकरण हेतु उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद् ने जनपद इटावा में भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या 2, इटावा, इटावा-मैनपुरी रोड पर दाहिनी तरफ बनायी गयी है।

योजना में समाविष्ट क्षेत्र की सीमायें निम्न प्रकार हैं :-

उत्तर-खसरा संख्या 317-क (भाग), 344, 386, 387, ग्राम-कस्बा इटावा, परगना, तहसील व जिला इटावा।

पूरव-खसरा संख्या 388, 389, 381, 376, 369, ग्राम-कस्बा इटावा, परगना, तहसील व जिला इटावा।

दक्षिण-खसरा संख्या 368, 365, 364, 358, 357, ग्राम-कस्बा इटावा, परगना, तहसील व जिला इटावा, खसरा संख्या 15, ग्राम-परेड छावनी, परगना, तहसील व जिला इटावा, खसरा संख्या 335 ग्राम-कस्बा इटावा, परगना, तहसील व जिला इटावा।

पश्चिम-खसरा संख्या 304, 331 व 304 (इटावा-मैनपुरी रोड) ग्राम-कस्बा इटावा, परगना, तहसील व जिला इटावा।

योजना में समाविष्ट भूमि का विवरण व मानचित्र कार्यालय, आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद्, 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ अथवा कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण इकाई इटावा उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद् रिपनिंग मिल परिसर इटावा में किसी भी कार्य-दिवस में 11:00 बजे पूर्वान्ह से 3:00 बजे अपरान्ह तक देखे जा सकते हैं।

योजना क्षेत्र में स्थित निर्माणों के भू-स्वामियों पर परिषद् अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार बेटरमेन्ट फी/विकास व्यय भी अधिभारित होगा।

योजना के विपरीत आपत्तियों को इस नोटिस के प्रथम बार उ०प्र० गजट के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के अन्दर आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद्, 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ अथवा कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण इकाई इटावा उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद् रिपनिंग मिल परिसर इटावा में ली जायेगी। निर्धारित समय के बाद कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी। आपत्ति में योजना का सही नाम व योजना में समाविष्ट आपत्तिकर्ता की भूमि/भवन/ग्राम का नाम/प्लॉट नम्बर/क्षेत्रफल अन्तः सभी विवरण होने चाहिये।

धीरज साहू
आवास आयुक्त।

U. P. AVAS EVAM VIKAS PARISHAD, LUCKNOW

[LAND ACQUISITION SECTION]

No. 2226/L. A. C./H. Q.

February 23, 2018

NOTICE

[Notice under section 28 of the U. P. Avas Evam Vikas Parishad Adhiniyam, 1965 (U. P. Act no. 1 of 1966)]

The U. P. Avas Evam Vikas Parishad has framed a Scheme called "Bhumi Vikas Evam Grihsthan Yojna no. 2 Right side of Mainpuri Road, Etawah" to solve the acute housing problem of the Etawah City.

The Boundaries of the comprised area in the Scheme are as follows :

North--Khasra nos. 317ka (Part), 344, 386, 387, Village-Kasba Etawah, Pargana Tehsil and District- Etawah.

East--Khasra nos. 388, 389, 381, 376, 369, Village-Kasba Etawah, Pargana, Tehsil and District- Etawah.

South--Khasra nos. 368, 365, 364, 358, 357, Village-Kasba Etawah, Pargana, Tehsil and District- Etawah.

Kahasra no. 15, Village-Pared Chhawani, Pargana, Tehsil and District- Etawah, Khasra no. 335

Village-Kasba Etawah, Pargana, Tehsil and District- Etawah.

West--Khasra nos. 304, 331 & 304 (Etawah-Mainpuri Road), Village-Kasba Etawah, Pargana, Tehsil and

District- Etawah.

The details of land falling under the Scheme and Map can be seen in the office of Housing Commissioner, U. P. Avas Evam Vikas Parishad, 104, Mahatma Gandhi Marg, Lucknow or in the office of Executive Engineer, Construction Unit, Etawah; U.P. Avas Evam Vikas Parishad, Spinning Mill Campus, Etawah on any working day between 11.00 a.m. to 3.00 p.m.

Land owners will be liable to pay Betterment fee/Development charges of their situated structures in the Scheme according to provisions of Parishad Adhiniyam.

Objections against the Scheme shall be received at the office of the Housing Commissioner, U. P. Avas Evam Vikas Parishad, 104, Mahatma Gandhi Marg, Lucknow or in the office of the Executive Engineer, Construction Unit, Etawah; U.P. Avas Evam Vikas Parishad, Spinning Mill Campus, Etawah, within 30 days from the first publication in the Pradesh Gazette of the Notice. After passing the time, no objection shall be considered. In objection, correct details of land falling under the Scheme, viz. Village, Pargana, Tehsil, District, Village/Plot number/Area and other all

DHEERAJ SAHU,
Housing Commissioner



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

इलाहाबाद, शनिवार, 17 मार्च, 2018 ई० (फाल्गुन 26, 1939 शक संवत्)

भाग-8

सरकारी कागज-पत्र, दवाई हुई हुई की गाँवों का विवरण, पत्र, पत्र-मार्ग, के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और जल सहाधी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन, इत्यादि।

कार्यालय, नगर पंचायत नसीराबाद, रायबरेली

12 फरवरी, 2018 ई०

सं० 252/न०प०न०/उ०वि०प्र०/2017-18-उ०प्र० नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298(1) खण्ड 'ज' के भाग 'ख' के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर नगर पंचायत, नसीराबाद, रायबरेली ने अपनी सीमा में वाहन प्रवेश एवं पार्किंग शुल्क उपनियमावली बनायी है। उपनियमावली का प्रारूप उक्त ऐक्ट की धारा 301 (1) के अधीन समस्त नगर वासियों को आपत्तियों एवं सुझाव प्राप्त कराये जाने के उद्देश्य से दैनिक समाचार-पत्र "आनन्द टाइम्स" एवं "स्वतन्त्र भारत" में 09 जनवरी, 2018 को प्रकाशित करायी गयी। निर्धारित अवधि के अन्तर्गत प्रकाशित उपनियमावली पर कोई आपत्ति एवं सुझाव कार्यालय को प्राप्त नहीं हुए हैं। अतः यह उपनियमावली गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

उपनियमावली

- 1-शीर्षक-यह उपविधि वाहन प्रवेश एवं पार्किंग शुल्क नगर पंचायत, नसीराबाद, रायबरेली कहलायेगी।
- 2-प्रकृति-यह उपविधि उत्तर प्रदेश अधिसूचना गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से नगर पंचायत समिति/विहित प्राधिकारी की स्वीकृति से सीमा में प्रभावी होगी।
- 3-परिभाषाएँ-जब तक विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस उपविधियों में-
 - (क) "नगर पंचायत" से तात्पर्य नगर पंचायत, नसीराबाद, रायबरेली जनपद से है।
 - (ख) "नगर पंचायत की सीमाओं" से तात्पर्य वर्तमान में निर्धारित सीमाएँ या भविष्य में बढ़ने से निर्धारित सीमाएँ होने वाली सीमा से है।
 - (ग) "अधिसूचना अधिकाारी" से तात्पर्य नगर पंचायत, नसीराबाद, रायबरेली के अधिसूचना अधिकाारी से है।
 - (घ) "अधिनियम" से तात्पर्य संयुक्त पारित नगर पालिका अधिनियम, 1916 से है।
 - (ङ) "वाहन" से तात्पर्य नगर पंचायत, नसीराबाद, रायबरेली की सीमा से गुजरने, आने या जाने वाले वाहन से है।
 - (च) "नसीराबाद" से तात्पर्य नगर पंचायत, नसीराबाद, रायबरेली के क्षेत्र से है।

छ) "नाका बैरियर" से तात्पर्य नगर पंचायत, नसीराबाद के नामा बैरियर से है।

(ज) "सड़क/पटरियों" का तात्पर्य नगर पंचायत, नसीराबाद, रायबरेली की सीमा अन्तर्गत आने वाले मार्गों गैर प्रान्तीय एवं नगर सड़क पटरियों से है।

4-शुल्क का विवरण अधिरोपण एवं संग्रह-नगर पंचायत, नसीराबाद, रायबरेली की सीमा के अन्तर्गत प्रवेश करने वाले वाहन/ट्रक/ट्रैक्टर मय ट्राली, डीसीएम, टोयोटा जो व्यावहारिक दृष्टि से चलते हैं, मोटर लारी रोडवेज, स्टोर टाटा सूमो, मार्शल, टैक्सी, मेटाडोर, जीप, भारी वाहन व/अथवा अन्य डीजल व पेट्रोल से चलने वाले वाहनों जो एक समान उतारने चढ़ाने एवं सवारियों उतारने चढ़ाने एवं ठहरने वाले वाहनों को नियंत्रित करने हेतु उपविधि गई है। जिन पर यह शुल्क लागू होंगे।

5-नगर पंचायत, नसीराबाद, रायबरेली की सीमा के अन्तर्गत प्रवेश करने वाले वाहन चालक इन नियमों से को नियंत्रित समझेगा, क्योंकि वह प्रान्तीय अथवा नगर पंचायत सड़कों एवं अन्य वाहनों जो नगर पंचायत की के अन्तर्गत प्रवेश करते हो की सड़कों एवं पटरियों को प्रयोग करते हो वही वाहन चालक अपने वाहनों को तब नगर पंचायत, नसीराबाद, रायबरेली की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा जब तक वह देय शुल्क का भुगतान न कर दे, शुल्क मोहरर/नायब राजस्व मोहरर/ठेकेदार को दिया जायेगा। जहां पर नगर पंचायत, नसीराबाद, रायबरेली श्रेयत करेगी।

6-प्रत्येक वाहन चालक अपने वाहन निर्धारित स्थान या नगर की सीमा से किसी स्थान पर माल उतारने चढ़ाने एवं सवारियों उतारने चढ़ाने एवं ठहरने वाले वाहनों से मोहरर/नायब राजस्व मोहरर/ठेकेदार जैसी स्थित हो नसे शुल्क वसूल कर रसीद दे सके।

7-इस प्रकार की रसीद प्राप्त करने वाला व्यक्ति नगर पंचायत, नसीराबाद के अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/अधिशाली अधिकारी तथा उनके द्वारा अधिकृत कर्मचारी के द्वारा मांगी जाने पर रसीद दिखाने के लिए बाध्य होगा एवं दिखलायेगा जो जाचोपरांत उसे विधिवत वापस कर दिया जायेगा।

8-नगर पंचायत, नसीराबाद, रायबरेली अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/अधिशाली अधिकारी को पूर्ण अधिकार होगा कि निर्धारित स्थान एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित करने परन्तु ऐसा करने के लिये उसे कम से कम 24 घण्टे पूर्व सूचना जारी करना होगा।

9-यदि कोई वाहन शुल्क अदा किये नगर पंचायत, नसीराबाद, रायबरेली की सीमा के अन्दर पाया गया तो अधिशाली अधिकारी/अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत जांच अधिकारी को यह अधिकारी होगा कि वह उस व्यक्ति से निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त शुल्क का कम से कम चार गुना और अधिक से अधिक 20 गुना दण्ड के रूप में वसूल कर रसीद देगा।

10-यदि कोई भी वाहन बगैर शुल्क अदा किये भाग जाने पर चालक का पूरा पता अथवा गाड़ी नम्बर जो भी उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत कानूनी कार्यवाही का अधिकार होगा।

11-यह कि नगर पंचायत चाहे तो वाहन एवं पार्किंग शुल्क की वसूली का वार्षिक अथवा उसके किसी भाग का ठेका दे सकती है। ऐसी स्थिति में ठेकेदार निर्धारित दरों पर शुल्क वसूल कर रसीद नियमानुसार जारी करेगा तथा पार्किंग शुल्क अवशेष होने पर पार्किंग शुल्क की वसूली भू-राजस्व की भांति की जा सकेगी।

शुल्क से मुक्ति

12-निम्न वाहन प्रवेश एवं पार्किंग शुल्क से मुक्ति होंगे।

- मृत पार्टी ले जाने समस्त वाहन या एम्बुलेंस।
- सरकारी कर्मचारियों के स्थानान्तरण पर उनका घरेलू सामान जो किसी भार वाहन पर हो किन्तु प्रतिव्यक्ति यह रहेगा कि सम्बन्धित विभाग द्वारा प्रमाण-पत्र दिया जावे, जो मांगने पर दिया जावे।
- अन्य सरकारी वाहन (रोडवेज व/अथवा अन्य) जो सरकारी इयूटी पर हो किन्तु प्रतिव्यक्ति यह है कि सम्बन्धित विभाग द्वारा प्रमाण-पत्र दिया जाये।
- नगर सीमा के अन्दर बिना रुकें सीधे जाने वाले वाहन।

उत्तर प्रदेश गजट, 17 मार्च, 2018 ई० (फाल्गुन 26, 1939 शक संवत्)

[भाग ४]

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्, लखनऊ

[भूमि अर्जन अनुभाग]

संख्या 2226/एल०ए०सी०/एच०क्यू०

23 फरवरी, 2018 ई०

नोटिस

[उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 (उ०प्र० अधिनियम, संख्या 1, 1966) की धारा 28 के अन्तर्गत नोटिस]

इटावा शहर की आवासीय समस्या का निराकरण हेतु उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद् ने जनपद इटावा में भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या 2 इटावा इटावा-मैनपुरी रोड पर दाहिनी तरफ बनायी गयी है। योजना में समाविष्ट क्षेत्र की सीमाये निम्न प्रकार हैं—

उत्तर-खसरा संख्या 317-क (भाग), 344, 386, 387, ग्राम-कस्बा इटावा, परगना, तहसील व जिला इटावा।
पूरव-खसरा संख्या 388, 389, 381, 376, 369, ग्राम-कस्बा इटावा, परगना, तहसील व जिला इटावा।
दक्षिण-खसरा संख्या 368, 365, 364, 358, 357, ग्राम-कस्बा इटावा, परगना, तहसील व जिला इटावा, खसरा संख्या 15, ग्राम-परेड चहवानी, परगना, तहसील व जिला इटावा, खसरा संख्या 335 ग्राम-कस्बा इटावा, परगना, तहसील व जिला इटावा।
पश्चिम-खसरा संख्या 304, 331 व 304 (इटावा-मैनपुरी रोड) ग्राम-कस्बा इटावा, परगना, तहसील व जिला इटावा।
योजना में समाविष्ट भूमि का विवरण व मानचित्र कार्यालय, आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद्, 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ अथवा कार्यालय अधिशारी अभियन्ता, निर्माण इकाई इटावा उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद् स्पनिंग मिल परिसर इटावा में किसी भी कार्य-दिवस में 11:00 बजे पूर्वान्ह से 3:00 बजे अपरान्ह तक देखे जा सकते हैं।
योजना क्षेत्र में स्थित निर्माणों के भू-स्वामियों पर परिषद् अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार बेटरमेंट फी/विकास चार्ज भी अधिभारित होगा।

योजना के विपरीत आपत्तियों का इस नोटिस के प्रथम बार उ०प्र० गजट के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के अन्दर आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद्, 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ अथवा कार्यालय अधिशारी अभियन्ता, निर्माण इकाई इटावा उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद् स्पनिंग मिल परिसर इटावा में ली जायेगी। निर्धारित समय के बाद कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी। आपत्ति में योजना का सही नाम व योजना में समाविष्ट आपत्तिकर्ता की भूमि/भवन/ग्राम का नाम/प्लॉट नम्बर/क्षेत्रफल अन्य सभी विवरण होने चाहिये।

धीरज साहू
आवास आयुक्त।

U. P. AVAS EVAM VIKAS PARISHAD, LUCKNOW

[LAND ACQUISITION SECTION]

No. 2226/L. A. C./H. Q.

February 23, 2018

NOTICE

[Notice under section 28 of the U. P. Avas Evam Vikas Parishad Adhiniyam, 1965 (U. P. Act no. 1 of 1966)]
The U. P. Avas Evam Vikas Parishad has framed a Scheme called "Bhumi Vikas Evam Grihsthan Yojana no. 2 Right side of Mainpuri Road, Etawah" to solve the acute housing problem of the Etawah City.

The Boundaries of the comprised area in the Scheme are as follows :

North--Khasra nos. 317ka (Part), 344, 386, 387, Village Kasba Etawah, Pargana Tehsil and District- Etawah.

East--Khasra nos. 388, 389, 381, 376, 369, Village-Kasba Etawah, Pargana, Tehsil and District- Etawah.

South--Khasra nos. 368, 365, 364, 358, 357, Village-Kasba Etawah, Pargana, Tehsil and District- Etawah.
Khasra no. 15, Village-Pared Chhawani, Pargana, Tehsil and District- Etawah.

West--Khasra nos. 304, 331 & 304 (Etawah-Mainpuri Road), Village-Kasba Etawah, Pargana, Tehsil and District- Etawah.

The details of land falling under the Scheme and Map can be seen in the office of Housing Commissioner, U. P. Avas Evam Vikas Parishad, 104, Mahatma Gandhi Marg, Lucknow or in the office of Executive Engineer, Construction Unit, Etawah, U.P. Avas Evam Vikas Parishad, Spinning Mill Campus, Etawah on any working day between 11:00 a.m. to 3:00 p.m.

Land owners will be liable to pay Betterment fee/Development charges of their situated structures in the Scheme according to provisions of Parishad Adhiniyam.

Objections against the Scheme shall be received at the office of the Housing Commissioner, U. P. Avas Evam Vikas Parishad, 104, Mahatma Gandhi Marg, Lucknow or in the office of the Executive Engineer, Construction Unit, Etawah, U.P. Avas Evam Vikas Parishad, Spinning Mill Campus, Etawah on any working day between 11:00 a.m. to 3:00 p.m.

Objections should be clearly mentioned in writing and should be received before the due date of objection. The objections should be received in the office of the Housing Commissioner, U. P. Avas Evam Vikas Parishad, 104, Mahatma Gandhi Marg, Lucknow or in the office of the Executive Engineer, Construction Unit, Etawah, U.P. Avas Evam Vikas Parishad, Spinning Mill Campus, Etawah on any working day between 11:00 a.m. to 3:00 p.m.



उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

भाग 8

कार्यालय, नगरपालिका परिषद्, पडरौना, कुशीनगर

09 अक्टूबर, 2017 ई०

उक्त नियमावली के आलेख के समर्थन में यदि कोई व्यक्ति आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत करना चाहता है तो नियमावली के प्रकाशन के एक माह अर्थात् तीस दिन के अन्दर लिखित रूप में नगरपालिका परिषद्, पडरौना, प्रखण्ड-१, जलपाईगढ़, प्रस्तुत कर सकता है। निम्नलिखित अवधि में प्रस्ताव प्रणत आपत्तियों/सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्, लखनऊ

[भूमि अर्जन अनुभाग]

संख्या 2226/एल०ए०सी०/एच०क्यू०

23 फरवरी, 2018 ई०

नोटिस

[उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 (उ०प्र० अधिनियम, संख्या 1, 1966) की धारा 28, के अन्तर्गत नोटिस]

इटावा शहर की आवासीय समस्या के निराकरण हेतु उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद् ने जनपद इटावा में भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या 2, इटावा, इटावा-मैनपुरी रोड पर दाहिनी तरफ बनायी गयी है।

योजना में समाविष्ट क्षेत्र की सीमायें निम्न प्रकार हैं :-

उत्तर-खसरा संख्या 317-क (भाग), 344, 386, 387, ग्राम-करवा इटावा, परगना, तहसील व जिला इटावा।

पूरव-खसरा संख्या 388, 389, 381, 376, 369, ग्राम-करवा इटावा, परगना, तहसील व जिला इटावा।

दक्षिण-खसरा संख्या 368, 365, 364, 358, 357, ग्राम-करवा इटावा, परगना, तहसील व जिला इटावा, खसरा संख्या 15.

ग्राम-परेड छावनी, परगना, तहसील व जिला इटावा, खसरा संख्या 335 ग्राम-करवा इटावा, परगना, तहसील व जिला इटावा।

पश्चिम-खसरा संख्या 304, 331 व 304 (इटावा-मैनपुरी रोड) ग्राम-करवा इटावा, परगना, तहसील व जिला इटावा।

योजना में समाविष्ट भूमि का विवरण व मानचित्र कार्यालय, आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद्, 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ अथवा कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण इकाई इटावा उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद् स्पनिंग मिल, परिसर इटावा में किसी भी कार्य-दिवस में 11:00 बजे पूर्वान्ह से 3:00 बजे अपरान्ह तक देखे जा सकते हैं।

योजना क्षेत्र में स्थित निर्माणों के भू-स्वामियों पर परिषद् अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार बेटरमेंट फी/विकास व्यय भी अधिभारित होगा।

योजना के विपरीत आपत्तियों को इस नोटिस के प्रथम बार उ०प्र० गजट के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के अन्दर आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद्, 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ अथवा कार्यालय अधिशासी अभियन्ता निर्माण इकाई इटावा उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद् स्पनिंग मिल परिसर इटावा में ली जायेगी। निर्धारित समय के बाद कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी। आपत्ति में योजना का सही नाम व योजना में समाविष्ट आपत्तिकर्ता की भूमि/भवन/ग्राम का नाम/प्लॉट नम्बर/क्षेत्रफल अन्य सभी विवरण होने चाहिये।

धीरज साहू,
आवास आयुक्त।

U. P. AVAS EVAM VIKAS PARISHAD, LUCKNOW

[LAND ACQUISITION SECTION]

No. 2226/L. A. C./H. Q.

February 23, 2018

NOTICE

[Notice under section 28 of the U. P. Avas Evam Vikas Parishad Adhiniyam, 1965 (U. P. Act no. 1 of 1966)]

The U. P. Avas Evam Vikas Parishad has framed a Scheme called "Bhumi Vikas Evam Grihsthan Yojna no. 2 Right side of Mainpuri Road, Etawah" to solve the acute housing problem of the Etawah City.

The Boundaries of the comprised area in the Scheme are as follows :

North--Khasra nos. 317ka (Part), 344, 386, 387, Village-Kasba Etawah, Pargana Tehsil and District- Etawah

East--Khasra nos. 388, 389, 381, 376, 369, Village-Kasba Etawah, Pargana, Tehsil and District- Etawah.

South--Khasra nos. 368, 365, 364, 358, 357, Village-Kasba Etawah, Pargana, Tehsil and District- Etawah.

Khasra no. 15, Village-Pared Chhawani, Pargana, Tehsil and District- Etawah, Khasra no. 335 Village-Kasba Etawah, Pargana, Tehsil and District- Etawah.

West--Khasra nos. 304, 331 & 304 (Etawah-Mainpuri Road), Village-Kasba Etawah, Pargana, Tehsil and District- Etawah

The details of land falling under the Scheme and Map can be seen in the office of Housing Commissioner U. P. Avas Evam Vikas Parishad, 104, Mahatma Gandhi Marg, Lucknow or in the office of Executive Engineer Construction Unit, Etawah, U. P. Avas Evam Vikas Parishad, Spinning Mill Campus, Etawah on any working day between 11.00 a.m. to 3.00 p.m.

Land owners will be liable to pay Betterment fee/Development charges of their situated structures in the Scheme according to provisions of Parishad Adhiniyam.

Objections against the Scheme shall be received at the office of the Housing Commissioner, U. P. Avas Evam Vikas Parishad, 104, Mahatma Gandhi Marg, Lucknow or in the office of the Executive Engineer, Construction Unit, Etawah, U. P. Avas Evam Vikas Parishad, Spinning Mill Campus, Etawah, within 30 days from the first publication of the Scheme.

Some of the Scheme and its particulars, such as Land Bearing, Nature of the land, etc., should be clearly mentioned in the objection against the Scheme.